



BAGHPAT POLICE



थाना खेकडा साइबर टीम, जनपद बागपत

थाना खेकडा साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति के खाते से 92000/- रुपये की आनलाइन धोखाधड़ी के सम्पूर्ण धनराशि 92000/- रुपये वापस कराये गये-

1-पीड़ित मोहसीन मलिक पुत्र रहीसुद्दीन निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन **92000/- रुपये** की धोखाधड़ी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई , जिसका ACK नं० 33112250173810 है । शिकायत प्राप्त होने पर थाना खेकडा साइबर टीम प्रभारी उ०नि० श्री नितिन कुमार द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीड़ित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि 92000/- रुपयों को वापस कराया गया ।



रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा थाना खेकडा जनपद बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र०सं०	थाना	प्रा० पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना खेकड़ा	33112250173810	92000/-



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 25.01.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- विकास पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम मकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व.उ.नि. श्री गवेन्द्र पाल सिंह थाना छपरौली ।
2. उ०नि० श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली ।
3. है०का० 213 मोहित सैनी थाना छपरौली ।
4. है०का० 564 जितेन्द्र सिंह थाना छपरौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 25.01.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 12/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू व चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.01.2026 को थाना छपरौली पर आवेदक विनोद कुमार पुत्र स्व० श्री शीशपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट साढौली हरिया थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ने लिखित तहरीर दि कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटरसाईकिल स्प्लेंडर प्लस को चौधरी लाल सिंह पेट्रोल पम्प करबा छपरौली से चोरी कर लिया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु.अ.सं. 12/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 12/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू व चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल स्प्लेंडर प्लस बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पुलिस द्वारा अभियोग में धारा 317(2) की वृद्धि कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सचिन पुत्र राजू निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- स्प्लेंडर प्लस UP11AJ3190
- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रोहित कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत
2. का0 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत
3. का0 511 धर्मेन्द्र थाना छपरौली जनपद बागपत
4. का. 597 प्रेमपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत
5. का. 429 प्रदीप भाटी थाना छपरौली जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक- 25.01.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं- 394/2025 धारा 305(ए) बीएनएस व मु0अ0सं- 411/2025 धारा- 305(ए) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर, चोरी करने के उपकरण, किराना की दुकान से चोरी किया हुआ सामान, निकोन कैमरा, ट्यूबवैल केबिल वजन करीब 05 किग्रा, 14 पैकेट मिड्डे मील (दलिया) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1.दिनांक:- 6.12.2025 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री अवनीस पुत्र श्रीपाल निवासी कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली, जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी व सलीम, इरफान की किराना की दूकान से सामान चोरी कर लिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघवाली अहीर पर मु0अ0सं0 394/25 धारा- 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



2.दिनांक:- 28.12.25 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी सत्यम पुत्र मनोज कुमार निवासी हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि वादी के घर से सोने चांदी के आभूषण व कम्प्यूटर व कुछ कागजात चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 411/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं- 394/2025 धारा 305(ए) बीएनएस व मु0अ0सं- 411/2025 धारा 305(ए) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर, चोरी करने के उपकरण, किराना की दुकान से चोरी किया हुआ सामान 1- एक पेट्टी स्टींग रंग लाल (30 बोतल), 2- कोल्ड्रींक रीमझीम जीरा (14 बोतल), 3- कोल्ड्रींक फ्रुटी (10 बोतल), 4- कोल्ड्रींक रेडबूल (07 कैन), 5- एक बंडल सीगरेट ए10 (कुल 25 डिब्बी), 6- बीडी 502 पताका दो बंडल, 7- विमल पान मसाला एक बंडल, 8- तुलसी पान मसाला एक बंडल, 8- खुले बीडी बंडल दस, माचिस पैकेट, खुले गुटका कैश, गगन आदि तथा निकोन कैमरा, सामान ट्यूबवैल केबिल वजन करीब 05 किग्रा, 14 पैकेट मिड्डे मील (दलिया) बरामद हुए हैं।

नोट- उपरोक्त अभियोगों में बरामदगी के आधार पर धारा- 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. तरुण पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम भनैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, हाल पता किरायेदार शेरा का मकान सेल्फी पाईंट तिराहा कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2. सुनील पुत्र शौराज निवासी ग्राम भनैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर,
- चोरी करने के उपकरण,
- एक पेट्टी स्टींग रंग लाल (30 बोतल)
- कोल्ड्रींक रीमझीम जीरा (14 बोतल)
- कोल्ड्रींक फ्रुटी (10 बोतल)
- कोल्ड्रींक रेडबूल (07 कैन)
- एक बंडल सीगरेट ए 10 (कुल 25 डिब्बी),
- बीडी 502 पताका दो बंडल,

- विमल पान मसाला एक बंडल,
- तुलसी पान मसाला एक बंडल,
- खुले बीडी बंडल दस,
- माचिस पैकेट,
- खुले गुटका कैश, गगन आदि
- निकोन कैमरा,
- ट्यूबवैल केबिल वजन करीब 05 किग्रा,
- 14 पैकेट मिड्डे मील (दलिया)

अभियुक्त तरुण पुत्र रामसिंह का अपराधिक इतिहास

- 1.. मुअसं- 212/2020 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना भौजपुर गाजियाबाद
- 2.. मुअसं- 114/2020 धारा 379/411/427 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 3.. मुअसं- 132/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 4.. मुअसं- 154/2020 धारा 379/411/427 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 5.. मुअसं- 223/2020 धारा 379/411/427 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 6.. मुअसं- 248/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 7.. मुअसं -317/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 8.. मुअसं- 354/2020 धारा 379/411/427 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 9.. मुअसं- 371/2020 धारा 379/411/427 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 10.. मुअसं – 63/2022 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 11.. मुअसं- 121/2022 धारा 379/411 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 12.. मुअसं- 112/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मसूरी गाजियाबाद
- 13.. मुअसं- 117/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मसूरी गाजियाबाद
- 14.. मुअसं- 157/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मसूरी गाजियाबाद
- 15.. मुअसं- 210/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मसूरी गाजियाबाद
- 16.. मुअसं- 161/2020 धारा 136(1)(सी)/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना निवाडी गाजियाबाद

- 17.. मुअसं- 17/2022 धारा 379/411 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना निवाडी गाजियाबाद
- 18.. मुअसं- 22/2022 धारा 379/411 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना निवाडी गाजियाबाद
- 19.. मुअसं- 33/2022 धारा 379/411 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना निवाडी गाजियाबाद
- 20.. मुअसं- 39/2022 धारा 4/25 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना निवाडी गाजियाबाद
21. मु0अ0सं- 394/2025 धारा 305(ए) 317(2)/3(5) बीएनएस थाना सि0 अहीर बागपत
- 22- मु0अ0सं- 411/2025 धारा 305(ए) 317(2)/3(5) बीएनएस थाना सि0 अहीर बागपत
- 23.मु0अ0स0 – 31/26 धारा – 3/25 एक एकट थाना सि0 अहीर बागपत
- 24- मुअसं-400/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बिनौली बागपत,
- 25 मुअसं- 362/2025 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना बिनौली बागपत

अभियुक्त सुनील पुत्र शौराज का अपराधिक इतिहास

- मुअसं- 161/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना निवाडी गाजियाबाद
- 2.. मुअसं- 210/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मसूरी गाजियाबाद
- 3.. मुअसं- 69/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना निवाडी गाजियाबाद
- 4..मुअसं- 74/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना निवाडी, गाजियाबाद
- 5..मुअसं- 75/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना निवाडी, गाजियाबाद
- 6..मुअसं- 98/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना निवाडी, गाजियाबाद
- 7..मुअसं- 371/2020 धारा 379/411/427 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 8..मुअसं- 694/2020 धारा 2/3 गैग्रेस्टर अधिनियम थाना मुरादनगर, गाजियाबाद
- 9.. मुअसं- 112/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मसूरी गाजियाबाद
- 10.. मुअसं- 117/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मसूरी गाजियाबाद
- 11.. मुअसं- 157/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मसूरी गाजियाबाद
- 12.. मुअसं- 323/2020 धारा 379/411/427 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 13.. मुअसं- 248/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 14.. मुअसं- 317/2020 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 14.. मुअसं- 351/2020 धारा 379/411/427 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 15.. मुअसं- 354/2020 धारा 379/411/427 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 16.. मुअसं- 122/2020 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना भौजपुर, गाजियाबाद
- 17.. मुअसं- 147/2020 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003. थाना भौजपुर. गाजियाबाद

- 18.. मुअसं- 114/2020 धारा 379/411/427 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 19.. मुअसं- 132/2020 धारा 136/137 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर, गाजियाबाद
- 20.. मुअसं- 154/2020 धारा 379/411/427 भादवि व धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 21.. मुअसं- 212/2020 धारा 136 भारतीय विधुत अधिनियम 2003, थाना भौजपुर, गाजियाबाद
22. मु0अ0सं- 394/2025 धारा 305(ए) 317(2)/3(5) बीएनएस थाना सि0 अहीर बागपत
- 23- मु0अ0सं- 411/2025 धारा 305(ए) 317(2)/3(5) बीएनएस थाना सि0 अहीर बागपत
- 24-मुअसं-400/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बिनौली बागपत,
- 25- मुअसं- 362/2025 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना बिनौली बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री दलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 410 राजवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 689 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5- का0 633 जहांगीर पवार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 6- का0 796 संदीप कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

